

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

rAKT II—Section 3—Sub-section (1) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] No. 376] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2018/ज्येष्ठ 14, 1940 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2018/JYAISTHA 14, 1940

#### वित्त मंत्रालय

### (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

**सा.का.नि. 524(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 17 के साथ पठित धारा 53 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 17 और 18 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर निधियों का निपटान नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों का नाम माल और सेवा कर निधियों का निपटान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. माल और सेवा कर निधियों का निपटान नियम, 2017 में, नियम 11 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—
  - "(3) केंद्रीय सरकार, किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में किसी भी समय, परिषद की सिफारिश पर, उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष में संग्रहीत एकीकृत माल और सेवा की किसी राशि का अनंतिम रूप से निपटान कर सकेगी, जिसका अब तक निपटान नहीं किया गया है, जिसे पश्चात्वर्ती माह(माहों)/वर्ष (वर्षों) में, करदाताओं द्वारा फाइल की गई विवरणी के आधार पर, समयोजित किया जाएगा।"

[फा. सं. 31013/16/2017-एसटी- I -डीओआर]

राजेंद्र कुमार जाटव, अवर सचिव

3138-GI/2018 (1)

**टिप्पणी**: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 27 जुलाई, 2017 के सा.का.नि. सं. 964(अ) के अधीन प्रकाशित की गई थी और प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 06 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 145(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

# MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th June, 2018

- **G.S.R. 524(E).**—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), sections 17 and 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Goods and Services Tax Settlement of Funds (Second Amendment) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017, in rule 11, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:—
  - "(3) At any point of time in any particular financial year, the Central Government may, on the recommendations of the Council, provisionally settle any sum of integrated goods and services tax collected in that particular financial year which has not been settled so far which will be adjusted in the subsequent month(s)/year(s), based on the returns filed by the taxpayers".

[F. No. 31013/16/2017-ST-I-DoR]

RAJENDRA KUMAR JATAV, Under Secy.

**Note**: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 964(E), dated the 27th July, 2017 and first amendment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* Notification No. G.S.R. 145(E) dated the 6th February, 2018.